

फर्द अहकाम

देशी न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)


दिशन

बनाम

निशालसिंह

क्रमा संख्या / वर्ष

257/2022

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
257/22		<p>पत्रावली पेश हुई थी मील पत्रकारण उप. लंबोछित अनवान पेश हुआ जो दर्शन है अर्थात् त. 1 लगापत्र 5 का बावपत्र लम्पक तामील के हाथीर नहीं ठीक 2 के विरुद्ध (लम्पसीय भाषिवाही नीपाती है) अर्थात् त. 6 का पत्राव बंद किया जाता है। वस्तु उपपत्तों में डा. पत्र पर बुनीजरी व हल बुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि अर्थात् व अर्थात् गिण वास्तु आराजी के लक्ष्यतेवार हैं एवं वास्तु आराजी का विधियत विभाजित नहीं है। अतः वाद में बहुव्यय को रोकने व वाद में विषय वास्तु के बनाए रखने के लिए डा. पत्र के पत्र त. 2 में उल्लेखित अर्थ पर उपपत्तों को नाकेलनावाद में ही यथास्थित बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली के तहत शुभर हाकर पर नम्बर लेना है।</p>	
		<p> उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	